□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 1105
18 □□□□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□ प्रश्न □□ उत्त□

□□□□□□ □□द्य □ □□□□□□ □□□□□
1105. श्री □□द्यु□ □□□ □□□□□
श्री □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
श्री □□□□ □त्त□
श्री श्री□□□ □र्□□ □□□□□
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रा□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ प्र□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□द्य □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ओं □□ □□□□ □□□□ के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, □□□ □□,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अपनी प्रयोगशालाओं म जांच करने के लिए प्रत्येक आयातित खाद्य सामग्री से नमूने □□□□□;

(□) □□□ □□,□□ □□□□□□ ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध म समिति के निष्कष क्या रहे;

(□) क□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ एहतियाती उपाय के रूप म खाद्य के इस्तेमाल □□□□□□ □ □□□ परामश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; □□

(□) □□□□□□□□□□ द्व□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ अन्य क्या कदम उठाए □/□□□□ □□ □□□□?

<u>उत्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(□) □□(□) चीन और अन्य देशों म नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के उपरांत और खाद्य मदों को सुरक्षा को लेकर व्यक्त को गई चिताओं को मद्देनजर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इन देशों से आयात किए गए खाद्य पदार्थों म कोरोना वायरस को मौजूदगी को □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ इससे संबंधित चिताओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को समिति गठित को □□ □□□

□□□□□ □□□पनी रिपोट म मत व्यक्त किया कि अभी तक, कोरोना वायरस म खाद्य- पदाथ जनित संक्रमण (प्र□□□) □□ □□□ □□□□□ □□□□ नहों मिला है और इस समिति ने निष्कष निकाला कि कोरोना प्रभावित देशों से भारत म आयातित खाद्य-पदाथ मानव उपयोग के लिए सुरक्षित है। समिति □□□श्व स्□□स्□ □□□□ (डब्ल्यूएचओ), खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) आदि जैसे वैश्विक संगठनों को परामर्शिकाओं पर सहमति जताई कि कोरोना वायरस के प्रसार या संक्रमण का प्रमुख माध्यम मानव से मानव ही प्र□□□ □□□□ □□।

विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों के आलोक म एफएसएसएआई ने इस संबंध म उपभोक्ताओं और आम □□□□ को चिंताओं को दूर करने के लिए 05.03.2020 को एक प्रेस विज्ञापित जारी □□ की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भी 6 माच, 2020 को पत्र के द्वारा सलाह दी गई थी कि वे किसी □□ □□□ प्र□□□ □□विरोध म उपभोक्ताओं और आम जनता को सभी जानकारी प्रसारित करने के लिए □□□□क्त □□□ □□□□□

लॉकडाऊन अवधि के दौरान, खाद्य मदों के आयात को निकासी और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एनसीआर और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं तथा एफएसएसएआई द्वारा प्रत्यायित □□□□ प्रयोगशालाएं) को अनिवाय सेवाओं के रूप म वर्गीकृत किया गया था और आयात को □□□□ □□□□□□□□ प्रक्रिया अपनाई गई थी।

(ङ) सुरक्षित खाद्य पद्धतियों के बारे म आम जनता और खाद्य व्यवसाय प्रचालकों (एफबीओ) को मागदशन देने के लिए तथा एफबीओ द्वारा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को निबाध रूप से जारी रखा □□□□ □□□श्चि□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ द्वारा दूसरे अनेक उपाय किए गए जैसे कि:-

- '□□□□□□ □□□□□ □□□ (□□□□□-19) महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों हेतु खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी दिशा-□□□□' □□□□ □□ □□स□□ □□□दशन नोट जारी किया गया है।
- नागरिकों के लिए "□□□□□-19 □□□□□□□ □□ □□□□" □□ □□ □-हस्तपुस्तिका जारी की गई जिसम अपनाई जाने वाली सुरक्षित खाद्य आदत तथा स्वस्थ्य व पोषण पर नुस्खे दिए गए ह।
- □□□□□□□□□ □□□□□-19 □□□□□□ □□□□□□□ □□ प्र□□□-प्र□□□ □□□□□□□□ व्य□□□ □□□ □□ अपने सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है जिसम कोविड-19 □□□□□□ □च□□ □□□□(□ि□□ □□□□) □□ □□ □□□रू□□□ □□□र्ग□ □□ □□□□□ □□
- एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र के विशेषज्ञों जैसे कि डॉक्टर, न्युट्रिशनिस्ट, □□□ि□□□□□, □□ □□ □□□ □□ स्पोट्स कमिकों के जरिये 30/40 सेकंड के छोटे वीडियो विज्ञापनों के रूप म प्रमुख संदेशों का पचार-प्र□□□ □□□□□□□□□ □□□-□□□ नामक प्लेटफॉम के साथ सहयोग किया है। इसी तरह का सहयोग यूनीसेफ इंडिया के साथ भी किया जा रहा है।
- □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□-19 □□□□ष्ट □□ □□□□ किया है जिसम इस अवधि के दौरान जारी की गई महत्वपूण अधिसूचनाएं, निदेश और आदेशों के साथ-□□□ □□□□न्न प्रकार के कम्युनिकेशन कोलेटरल, मागदशन टिप्पण और प्रेस विज्ञाप्तियां शामिल ह। यह www.fssai.gov.in □□ □□□□□ □□
- जहां लाइसंसिग प्राधिकरण ने लाइसस जारी करने से पहले निरीक्षण करने का निणय लिया है वहां लाइसस के जारी करने म होने वाली देरी से बचने के लिए, लाइसंसिग प्राधिकारियों को इसे □-□□□क्ष□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□31 ि□□□□, 2020 □□ □□□ ि□□□ □□□ □□
- विनिमाताओं से □□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□व्य□□□□ी □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□/□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ी □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ 31 ि□□□□, 2020 □□ □□□ ि□□□ □□□ □□

- [illegible] लाइसस/पंजीकरण 1 अगस्त, 2019 को समाप्त हो गया है, उन्ह ग्रेस अवधि दी गई है और उन्ह बिना किसी विलंब शुल्क के अपने मौजूदा लाइसस/पंजीकरण [illegible]
- [illegible] खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणक (फॉस्टेक) नामक अपने अग्रणी कायक्रम [illegible]-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पद्धतियां को अनिवायताओं पर अपने पैनलबद्ध साझेदारां के माध्यम से फूल हडलस के लिए एक ऑनलाइन प्र[illegible]
- खाद्य प्राधिकरण ने 12 मई, 2020 को खाद्य उद्योग के शीष नेताओं से बातचीत को। जिसका उद्देश्य था खाद्य आपूर्ति श्रृंखला म कर्मियां, ग्राहकां और अन्य सहभागियां के लिए कोविड-19 [illegible] जोखिम कम से कम करते हुए खाद्य आपूर्ति को निबाध रू[illegible] चचाओं से खाद्य उद्योग द्वारा जताई गई अधिकांश चिताओं और चुनौतियां का समाधान करने म [illegible]

****